

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा बलरामपुर जिले के बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत जोगियानी -रामनगर, रामचंद्रपुर-वाङ्गफनगर, वाङ्गफनगर-डांडकरंवा, डांडकरंवा -शारदापुर, पेंडारी-इकनारा, रामनगर-सरुवत, बसंतपुर-बेलकुर्ता, रामानुजगंज- रामचंद्रपुर, महावीरगंज-त्रिकुण्डा, शारदापुर-लुरगीकला, रामानुजगंज -बलरामपुर, बलरामपुर-बरियों, बलरामपुर - दातरम, सेमरिया-वाता, दातरम-भदर, डीपाडीहकला -करकली पश्चिम, उम्को-कोठली, कुसमी -हराडीपा, कुसमी-हंसपुर, नेमना- वाङ्गफनगर, मोहरसोप-इंजानी, फुलीडूमर-छ.ग./उ.प्र. बार्डर, वाङ्गफनगर-बसंतपुर, महादेवपुर- वीरेन्द्रनगर, पड़ौली-मानिकपुर, झलरिया-प्रतापपुर, भेण्डरी- अतौरी, प्रतापपुर-केरता, राजपुर- शंकरगढ़, शंकरगढ़-बेलकोना, पुटसुरा-छ.ग./झारखण्ड बार्डर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 685.620 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि 0.559 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि 9.205 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 1.434 हेक्टेयर कुल रकबा 11.198 हेक्टेयर वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत व्यपारिवर्तित किया जाना है। इस प्रकरण में मांग की गई भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।


Vivekanand Jha
 I.F.S.
 Divisional Forest officer
 Balrampur Division, Balrampur


 (अमन कुमार सिंह)
 महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
 जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
 चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,
 मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)